रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 1975/श्रावण 22, 1897
No. 308] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 1975/SRAVANA 22, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1975

का० आ० 432 (अ).—भारत सरकार के 21 जून, 1975 के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं० का० आ० 269(अ) के हिन्दी रूपान्तर में निम्नलिखित मुद्रण अशुद्धियों में सुधार कर लिया जाए :—

1. हिन्दी रूपान्तर की पहली पंक्ति में "धा" के स्थान पर "धारा" पढ़ा जाए और दूसरी पंक्ति में दूसरे शब्द को "उपधारा" तथा अन्तिम शब्द को "अनु-" पढ़ा जाए ।
2. पांचवीं पंक्ति में "जनाई" के स्थान पर "जुलाई" और चौथे शब्द को "वर्ष" पढ़ा जाए ।

[सं० 4-2/75-अर्थ-नीति]

एम० वी० केशवन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975